रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2011/भाद्र 30, 1933
No. 1771] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2011/BHADRA 30, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2011

का.आ. 2154(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (V) और खण्ड (XIV) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथापेक्षित जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 को लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पर जिसका पता : envisect@nic.in पर केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए अग्रेषित कर सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, वर्ष 1974 में बांदीपुर में तत्कालीन वेनुगोपाल वन्यजीव उद्यान के अधिकतर वन क्षेत्रों को और उसके सेन्कटम सेन्कटॉरम् को सम्मिलित करके विरचना की गई थी। वर्ष 2001 में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 870.36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्यांक एफ ई ई 211, एफ डब्ल्यू एल 98 तारीख 27-6-2001 द्वारा अधिसूचित किया था। यह, 1973 के दौरान व्याघ्र परियोजना के अधीन लाए गए नौ संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में, 912.04 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र जिसमें लगे हुए वन के ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जो संख्यांक एफ ई ई 136, एफ डब्ल्यू एल, 2008, तारीख

31.08.2010 द्वारा अधिसूचित मध्यवर्ती ज़ोन के भाग हैं, बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व के अधीन है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 फ के अनुसार आंतरिक/संकटमय व्याघ्र आवास के रूप में घोषित किया गया है;

और बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व, न केवल नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के 5500 वर्ग कि.मी. का केन्द्रीय और संकटमय भाग है किंतु हाथी परियोजना के अधीन मैसूर हाथी रिजर्व का भी एक समग्र भाग है । यह, वयस्क हाथियों की महत्वपूर्ण उच्चतर संख्या सहित वन्य हाथी जनसंख्या की बहुत उच्च सघनता को संभालता है । यह क्षेत्र, नामनिर्दिष्ट हाथी कॉरीडोर अर्थात् कनियानपुरा हाथी कॉरीडोर का भाग बनता है जो सत्यमंगलम और मोयार रिजर्वों से संबद्ध है, यह, व्याघ्र के संरक्षण के लिए वैश्विक व्याघ्र पहल द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च् सघन व्याघ्र भू-दृश्यों में से एक है और सात बड़े खुरदार जीवजाती जैसे चीतल, सांभर, चौसिंगा, गौर, मुनजैक, वन्य सुअर और हाथी तथा पक्षियों की 250 से अधिक जीवजाति हैं, के संपूर्ण समुच्चय के लिए ज्ञात सबसे बड़े वन्य जीव क्षेत्रों में से भी एक है ;

और क्षेत्र में बहुत अधिक प्राणीजात और वनस्पति जात विविधता है । नागाराहोल, मुदुमलाई और व्यानद संरक्षित क्षेत्रों के साथ बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व, विश्व के तेरह व्याघ्र श्रेणी देशों में से वन्य व्याघ्र की सबसे अधिक प्रजनन जनसंख्या रखता है । व्याघ्र रिजर्व के वन विविध और प्रचुर हैं । मोयार के पूर्वी अंतिम भाग में झाड़ीदार वन हैं । जबकि व्याघ्र रिजर्व के केन्द्रीय भाग में अर्थात् कन्यानपुर में वनस्पति है, बीरामबाड़ी का बांदीपुर भाग सूखा पर्णपाती है, रिजर्व के पश्चिमी भाग में अर्थात् एनूरमाडीगुडी, बेगूर में वनस्पति और बीरामबाड़ी आर्द्र पर्णपाती है । अतः वनस्पति, पूर्व से पश्चिम को झाड़ीदार से आर्द्र पर्णपाती प्रकार में परिवर्तित होती है । ये वन, झाड़ीदार प्रकार के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं (समूह 5- उपसमूह 5ख-डीएसएफ-1-चैम्पियन का सूखा पर्णपाती झाड़ीदार और संपुटिकावृंत वर्गीकृत):

वनस्पति में, शारीवा टालुरा, सेनटालम अल्बम (संदल), टेरमिनालिया केबुला, एनोजीसस लातीफोलिया, आजाडाइराक्टा इंडिका, क्लोरोजाइलोन स्वीटेनिया, एकासिया, लेकोफिलोया, एकासिया केटेकू, स्टीरियोर्स्पमम केलोनोइडेस, जिजाइफस एसपीएस., डायोस्पाइरोस मेलनोजाइलोन, डायोस्पाइरोस मोनटाना, आदि प्रकार हैं ।

लन्टाना झाड़ियां, प्रायः अविकसित रूप में और कुछ स्थानों पर फोनिक्स एक्यूलिस के रूप में बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती हैं । केसिया टोरा, केसिया ऑरीकुलाटा, डेसमोडियम आदि भी अविकसित रूप हैं । बांस, सामान्यतः अनुपस्थित हैं । एकासिया इंटसिया सामान्य रूप से चढ़ने वाली है । घास, सामान्यतः भरपूर हैं किंतु अविकसित है । संदल अधिकतर इसी प्रकार में आता है ।

यह संरक्षित क्षेत्र, काबिनी, मोयार और नूगू जैसी महत्वपूर्ण बारहमासी नदियों का आवाह - क्षेत्र है । क्षेत्र, मानव आवास से पूर्णतया मुक्त है जिसमें किसी मानव जनसंख्या के पुर्नवास की अपेक्षा नहीं है; काबिनी जलाशय, मछलियां और बहुत से पक्षियों तथा अन्य की जातियों के लिए एक अच्छा जलीय आवास उपलब्ध करता है । छोटे तालाब और नदियां, मछली केकड़े, कछुए और मगरमच्छों आदि के लिए आवास प्रदान करते हैं ।

पोरकूपाइन, मूंगोसे, स्केली एनटीटर, बेनडीकूट, चूहे और सांप (पाइथोन) वैसे ही उपस्थलीय निवासी है जैसे वे स्थलीय निवासी हों । कुछ जानवर, उपस्थलीय खाद्य, प्रोकूपाईन बूरोस का उपयोग करते हैं और केसिया फिस्टूला की जड़ें खाते हैं। जंगली सुअर, कोस्टस एस पी एस., डायोसकोरिया और विटीस क्लाइमबर की ट्यूबरस जड़ों को खाते हैं । हाथी उखड़ी हुई घास पर पलते हैं और रसदार जड़ भागों का भोजन करते हैं । रीछ, जड़ें और भूमिगत सफेद चीटिंयों का भोजन करते हैं । यही व्यवहार अब तक देखा गया है । हाथी, विपत्ति की अवधि के दौरान काबिनी जलाशय के विशाल तटाग्र क्षेत्र में उथले जल में पाई जाने वाली जलगत अपतृण के साथ साथ उनके आगे के पैरों के नाखूनों के माध्यम से ठोकर द्वारा खुरची हुई घास का भोजन करते हैं ।

और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से उसमें वन्य जीवन और उसके पर्यावरण के संरक्षित,प्रसारित या विकसित करने के लिए पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे क्षेत्र, अवस्थिति और सीमाओं को, जो इस अधिसूचना में पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदनशील जोन कहा गया है) विनिर्दिष्ट की गई हैं, अधिसूचित करती है ।

2. पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाएं - (क) बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और व्याघ्र रिजर्व मैसूर में (ननजंगड और एच.डी.कोटे तालुकों) और कर्नाटक राज्य के चामराजानगर (गुंडलुपेट तालुक) जिलों में जो उत्तरी अक्षांस 11° से 35' 34" और 11° 55' 02" के बीच तथा पूर्वी देशांतर 76° 12' 17" और 76° 51' 32" के मध्य में स्थित है । उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन की सीमाएं उपाबंध -क पर दी गई हैं और पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का नक्शा उपाबंध-ख पर है ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में, जोन-1 - कन्यानपुरा हाथी कॉरीडोर जिसमें पंद्रह गांव हैं, बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का जोन-2, जिसमें एक सौ आठ गांव हैं, का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है और अधिसूचित रिजर्व वन क्षेत्रों को उपाबंध-ग में दिया गया है ।

(ग) वन ब्लॉक क्षेत्रों में (नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर और उसके बाहर दोनों) सभी क्रियाकलाप, वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 (1080 का 69) द्वारा शासित होंगे और संरक्षण क्षेत्रों (अभ्यारण) में सभी क्रियाकलाप, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

3. पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में विनियमित किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप हैं, अर्थात् :-

(1) बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व पारिस्थितक संवेदनशील जोन के लिए प्रबंध योजना-

(i) प्रबंध योजना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं को उसमें सम्मिलित करने की दृष्टि से पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व के सभी संबद्ध राज्य विभागों और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ii) प्रबंध योजना, निरावृत क्षेत्रों के पुनःस्थापन, विद्यमान जल पिंडों का संरक्षण, आवाह - क्षेत्रों का प्रबंध, जलसंभर प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध्, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकता और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध करती है ।

(iii) प्रबंध योजना, यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रतिषेध, विद्यमान विधिक भूमि, उपयोग पैटर्न के साथ विधिक अवसंरचना और क्रियाकलापों पर अधिरोपित नहीं की गई हों और वे पूर्वानुसार जारी रहेंगी । तथापि प्रबंध योजना, अधिक प्रभावी और पर्यावरण हितैषी होने के लिए सभी अवसंरचना/क्रियाकलापों के विकास में कारक भी होगी ।

(iv) प्रबंध योजना, सभी विद्यमान राजस्व, राजस्व विस्तार क्षेत्रों, वनों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, फलोद्यानों, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक विरासत स्थलों और अन्य पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करेगी । हरित उपयोगों से, जैसे फलोद्यानों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि, उद्यानों और इसी प्रकार के अन्य स्थानों का गैर हरित उपयोगों के लिए भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन, प्रबंध योजना में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(v) साधारणतया वन जोन, हरित जोनों और कृषि क्षेत्र में कोई कमी नहीं की जाएगी ।

(vi) भूमि उपयोग का कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन केवल पैरा 4 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के अनुमोदन से अनुज्ञात होगा ।

(vii) मानीटरी समिति, सभी विभागों और साथ ही पर्णधारकों द्वारा प्रबंध योजना के उचित निष्पादन की देखरेख करेगी । यह समिति लोगों की शिकायतों को भी देखेगी और ऐसी शिकायतों का आपसी समाधान खोजेगी ।

(viii) प्रबंध योजना, ऐसे सभी क्रियाकलाप के लिए जो स्थान विनिर्दिष्ट ऐसी अपेक्षाओं पर आधारित, जो तारीख 9 फरवरी, 2011 को पारिस्थितिक संवेदनशील जोनों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों

के उपाबंध-2 में दी गई हैं, विनियमित और /या प्रतिषेध किए जाने के लिए अपेक्षित किए गए हैं, सुसंगतता और पर्याप्त उपायों को अपरिवर्तनीय रूप से विहित करेगी ।

(ix) प्रबंध योजना के उपबंधों को पर्याप्त प्रचार दिया जाएगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में विनियमित, प्रतिषेध और अनुज्ञात क्रियाकलाप:-

जोन 1 और जोन 2 के अधीन निम्नलिखित क्रियाकलाप नीचे दिए गए सारणीबद्ध स्तंभ के अनुसार निर्बंधित, विनियमित और/या अनुज्ञात किए गए हैं,-

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषेध	विनियमित	अनुज्ञात	टिप्पणी
1.	वाणिज्यिक खनन	हां	-	-	
2.	वाणिज्यिक उत्खनन	हां	-	-	
3.	प्रस्तर उत्खनन और दलित्र	हां	-	-	
4.	उद्योगों की स्थापना	हां	-	-	
5.	वाणिज्यिक होटलों और रिजोर्टों की स्थापना	हां	हां	-	जोन 1 में, इस प्रारूप अधिसूचना की तारीख को पहले से ही विद्यमान स्थापनों के सिवाय, प्रतिषेध तथापि विद्यमान वाणिज्यिक पर्यटन स्थापनों का विस्तार, पूर्ण रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार विनियमित किया जाना है । जोन 2 में चिक्काथालालू, मुथिगेहुंडी,

					नंदीनाथापुरा और लक्कासोजे गांवों में वाणिज्यिक जोखिम प्रतिषेध किया गया है ।
6.	आरा मशीनों की स्थापना	हां	-	-	
7.	निजी भूमियों में वृक्षों की कटाई	-	हां	-	कर्नाटक वन अधिनियम और कर्नाटक पेड़ परिरक्षण अधिनियम के अनुसार कटाई को विनियमित किया गया है ।
8.	कृषि और उद्यान कृषि से भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन	हां	-	हां	जोन 1 में प्रतिषेध
9.	बृहत स्तर के पादप ग्रहों और अन्य वाणिज्यिक कृषि/उद्यान कृषि जोखिमों की स्थापनों	हां	हां	हां	जोन 1 में प्रतिषेध । जोन 2 में विनियमित/अनुज्ञात किया जाना ।
10.	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग भूमिगत जल उपज सहित	-	हां	-	
11.	मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां	-	-	
12.	आवासीय, कृषि और अन्य स्वअस्तित्व प्रयोजनों के लिए	-	-	हां	

	विद्युत केवलों का उत्थापन				
13.	स्थानीय समुदायों द्वारा चालू कृषि और उद्यान कृषि प्रथाएं	-	-	हां	
14.	वृष्टि जल उपज	-	-	हां	
15.	विद्युत बाड, वाणिज्यक होटलों/रिसोर्टों के परिसरों का संयोजन और वाणिज्यिक कृषि तथा उद्यान-कृषि जोखिम	-	हां	हां	केवल जोन 1 में विनियमित किया जाना ।
16.	जैव कृषि	-	-	हां	प्रोत्साहित
17.	राज्य राजमार्गों/मुख्य या जिला सड़कों का बढ़ाना	हां	हां	-	जोन 1 में, प्रतिषेध और जोन 2 में पूर्ण रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार विनियमित किया जाना है ।
18.	ग्राम सड़कों की देखभाल	-	हां		
19.	रात्रि में यान यातायात का चालन	-	हां	हां	जोन 1 में विनियमित किया जाना और जोन 2 में अनुज्ञात ।
20.	विदेशी वनस्पति जात	-	हां	-	

	और प्राणिजात का आरंभ				
21.	पशुधन और मुर्गी फार्मों की स्थापना	हां	हां	-	जोन 1 में प्रतिषेध ।
22.	जैव कृषि	-	-	हां	प्रोत्साहित ।
23.	पर्यटकों, वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों द्वारा पॉलीथिन बैगों का उपयोग	हां	हां	-	जोन 1 में प्रतिषेध ।
24.	पुनःउत्पादित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग	-	-	हां	प्रोत्साहित ।
25.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलापों का करना जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में किसी वायुयान, गर्म वायु बैलूनों, हैलीकॉप्टर, ग्लाइडर या पैरासैलिंग द्वारा ऊपर उड़ान भरना	हां	-	-	केवल जोन 1 में प्रतिषेध ।
26.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों की संरक्षा	-	-	हां	प्रोत्साहित ।
27.	प्राकृतिक जल पिंडों या स्थलीय क्षेत्र में बाहिस्रावों और ठोस अपशिष्टों का निस्सरण	हां	हां	-	जोन 1 में प्रतिषेध और जोन 2 में विनियमित ।

28.	साईन बोर्ड और होर्डिंग्स	-	हां	-	जोन 1 में विनियमित ।
29.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण	-	-	हां	प्रोत्साहित
30.	उच्च कर्षण विद्युत पारेषण लाइनों का उत्थापन ।	हां	-	-	जोन 1 में प्रतिषेध
31.	रेल भूमिगत पाइपलाइनें और रज्जुमार्ग	हां	-	-	

* यह सूची संपूर्ण नहीं है, कोई अन्य क्रियाकलाप जो वन्य जीव संरक्षण के प्रतिकूल है, पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(3) औद्योगिक इकाईयां:

1. नई औद्योगिक यूनिट के किसी स्थापन को जोन 1 में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. जोन 2 में नई औद्योगिक इकाई के स्थापन को पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार मानीटरी समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

(4) गैर नगरपालिका क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुज्ञात किया जाएगा :

लघु कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित संरचनाएं, स्थानीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से संबंधित क्रेयाकलाप और प्रसंस्करण या स्थानीय कृषि आधारित उत्पादों के भंडारण को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के

हस्तांतरण के लिए राजस्व प्राधिकरणों से अभिप्राप्त की जाने वाली अनुज्ञा के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(5) उत्खनन और खनन :-

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में उत्खनन और खनन क्रियाकलापों पर पाबंदी होगी और कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(6) वृक्ष : वन, सरकार, राजस्व या निजी भूमि पर वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकार, राजस्व तथा निजी भूमि की दशा में संबंधित क्रमशः जिला कलक्टर की ऐसी पूर्व अनुमति के बिना जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाने वाली रीति में प्रदान की जाए, वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।

(7) पर्यटन: पर्यटन क्रियाकलाप, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जो जोनल मास्टर प्लान का एक भाग भी होगा, अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाने वाला पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास पर विशेष जोर सहित पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(8) प्लास्टिक का उपयोग :

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर प्लास्टिक, लैमिनेट और टेट्रापेकों का उपयोग इस अधिसूचना में उल्लिखित क्रियाकलापों के अनुसार विनियमित होगा ।

(9) राजस्व विभाग के नियंत्रण के अधीन वन क्षेत्र :

कोई गैर वानिकी क्रियाकलाप, पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(10) बहिस्रावों का निस्सरण:

(क) किसी अनुपचारित बहिस्राव के निस्सरण को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर प्रतिषेध किया गया है ।

(ख) ऐसे किसी बहिस्राव का, जो उपचारित या अनुपचारित हो, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल समूह या जल स्रोत में निस्सरण किया जाना अनुज्ञात नहीं होगा ।

(11) **ठोस अपशिष्ट:**

(क) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ख) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जा सकेगा और अकार्बनिक सामग्री का, किसी पर्यावरणीय स्वीकृत अवस्थितियों में व्ययन किया जा सकेगा ।

(ग) ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में "ठोस अपशिष्टों" में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा बागान अपशिष्ट सम्मिलित होंगे ।

(12) प्राकृतिक झरने: (क) सभी प्राकृतिक झरनों के जल गृहण क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण तथा ऐसों के नवीकरण जो अपने प्राकृतिक स्वरूप में सूख चुके हैं, के लिए योजनाएं, जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएंगी ।

(ख) इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों पर पांबदी लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के अनुपालन को मानीटर करने के लिए बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व पारिस्थितिक संवदेनशील जोन मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है । मानीटरी समिति का अध्यक्ष मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय समस्याओं की समझ हो ।

(2) उपपैरा (1) में निर्दिष्ट मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी , अर्थात्:-

(क) कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि --सदस्य ;

(ख) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का एक प्रतिनिधि –सदस्य ;

(ग) प्राकृतिक संरक्षण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो कर्नाटक राज्य वन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य ;

(घ) प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर — सदस्य ;

(ङ) कर्नाटक राज्य की ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ - सदस्य

(च) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चामराजानगर -- सदस्य ;

(छ) वन उपसंरक्षक, परियोजना व्याघ्र खंड, बांदीपुर -- सदस्य सचिव ।

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित है । मानीटरी समिति, ऐसे मामलों को पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अनापत्ति प्रदान करेगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को निदेश देगा ।

उपाबंध-क

सीमाओं का विवरण

उपरोक्त वन क्षेत्रों के लिए सीमा विवरण, संबंधित वनों की सरकार की अधिसूचना में यथा वर्णित है ।

उत्तरी: रेखा, बिदरहाली पंचायत, एच.डी. कोटे तालुक, मैसूर जिले के गांव कारावाड़ी के उत्तरी-पश्चिमी कोने से आरंभ होती है और उत्तरी सीमा के साथ होती हुई सिंगपटना के ट्राइजंक्शन बिंदु तक पहुंचती है फिर यह रेखा, किथूर होते हुए गुजरती है और किथूर, उइयामबाल, नादिनाथपुरा और सागारे के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है फिर रेखा, नंदीनाथपुरा की दक्षिणी सीमा के साथ होती हुई और नंदीनाथपुरा के दक्षिणी समुद्री कोने को छूती है; फिर यह रेखा सागारे गांव से होती हुई गुजरती है और हेग्गानूर के अंतिम पश्चिमी ट्राइजंक्शन बिंदु पर मिलती है फिर रेखा दक्षिण की ओर समस्त पश्चिमी सीमा से गुजरती है और हेग्गानूर, सागारे, तेलागुमाशाली के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है; फिर रेखा, तेलागुमाशाली की समस्त उत्तरी सीमा के साथ गुजरती है और तेलागुमाशाली, हेग्गानूर और

देवालपुरा के ट्राइजंक्शन बिंदु पर मिलती है; फिर रेखा, दिवालपुरा के पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा से गुजरती है और हेग्गानूर, मल्लाराजापुरा और दिवालपुरा के ट्राइजंक्शन बंद को छूती है; फिर रेखा दिवालपुरा की उत्तरी सीमा से गुजरती है और हुल्लेमाला, मल्लाराजापुरा और दिवालपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा उत्तरी पश्चिमी दिशा में हुल्लेमाला की पश्चिमी सीमा के साथ गुजरती है और मशाली, मल्लाराजापुरा और हुल्लेमाला के ट्राइजंक्शन बंद को छूती है; फिर रेखा हुल्लेमाला की उत्तरी सीमा से गुजरती है और हुल्लेमाला के उत्तरी पूर्वी कोने को छूती है ; फिर रेखा मशाली गांव में होते हुए और पश्चिमी सीमा पर बेदालापुरा के एस वाई संख्या 20,19 और 11 के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा सीधे बेदालापुरा जाती है और हालेयूर, मशाली और बेदालापुरा को छूती है; फिर रेखा, हालेयूर से गुजरती है और नरसीपुरा गांव, हालेयूर गांव और कोथेगाला गांव के ट्राइजंक्शन बंध पर बिंदु को छूती है; फिर रेखा, कोथेगाला की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं से गुजरती है और कोथेगाला और पूराडकटटे, चिक्कादेवम्मन्नाबेटा, छामलपुरा और आलासूर के उत्तरी पूर्वी अंतिम कोने पर ट्राइजंकशन बंध को छूती है; फिर रेखा, आलासूर की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है और आलासुर के उत्तरी पूर्वी अंतिम कोने को छूती है और फिर रेखा दक्षिणी दिशा में आलासूर के पूर्वी सीमा के साथ जाती है और छामलपुरा, आलासुर और जटागथिपुरा और मुल्लूर के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा मुल्लूर की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और छामलपुरा, मुल्लूर और बेन्नेगिरी के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा मुल्लूर की पूर्वी सीमा और बेन्नेगिरी तथा छन्नागोडानहाली की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के छन्नागोडानहाली, एस डी कोटे के ताल्लुक के मुल्लूर और नन्जनगुड ताल्लुक के हेदियाला के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है । फिर रेखा हेदियाला और मुल्लूर की समान सीमा के साथ जाती है और हंसूर - बेगूर राजमार्ग सड़क को छूती है; फिर रेखा हेदियाला, मदुविनाहाली, अमकहाली और होसाविडु गांव से होती हुई उपरोक्त सड़क के दाईं ओर जाती है और देवारायासेट्टीपुरा की पश्चिमी सीमा को छूती है; फिर देवारायासेट्टीपुरा और कल्लाहाली की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है तथा तेलाना, हादया और चन्नापटना के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा, चन्नापटना की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और कल्लाहाली, चन्नापटना और केल्लापुरा के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है; रेखा, गंडलूपेट ताल्लुक के केल्लापुरा, जिला चमाराजनअगारा जिला की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ जाती है तथा चन्नापटना, मल्लाहाली और केल्लुपुरा कै ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा उत्तरी दिशा में मल्लाहाली और कालादेवनहाली की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और पूरा, कंथीरायनपुराडकावल और कलादेवनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, कालादेवनहाली की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और होसापुरा, दयावेगोडनपुरा, कंथारायानपुराडाकवल और कालादेवनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, होसापुरा की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और होसापुरा, दयावेगोडनपुरा और यादावनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, दक्षिणी दिशा में दयावेगोडनपुरा की दक्षिणी सीमा के साथ उसी दिशा में जाती है और दयावेगोडनपुरा, माकनपुरा, नंजनगुड तालुक और गुंडलूपेट तालुक के यादावेनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है;

फिर रेखा, यादावेनहाली की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और गुंडलूपेट तालुक के यादावेनहाली और नंजनगुड तालुक के कृष्णनपुरा तथा गुंडलुपैट तालुक के होरियाला के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, यादावेनहाली की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है और होरेयाला, यादावेनहाली और गुंडलूपैट तालुक के कोटेकेरे गांव के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा कोटेकेरे के एस वाई संख्या 20 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर उसके पहुंचने तक यादावेनहाली की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है; फिर रेखा कोटेकेरे की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण दिशा की और जाती है और कोटेकेरे के एस वाई संख्या 314 के दक्षिणी पश्चिमी कोने और राज्य राजमार्ग सड़क को छूती है ; फिर रेखा दक्षिणी पश्चिमी दिशा में कोटेकेरे गांव से होती हुई गुजरती है और कोटेकेरे, बैटेडमडहाली और मनचाली के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, मनचाली, बेनागावाड़ी, सवकनहाली और हासागुली के ट्राइजंक्शन बंध को छूने तक मनचाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है; फिर रेखा मनचाली की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है और सवकाराहाली, बेनागावाड़ी और मनचाली के ट्राइजंक्शन बिंदु पर मिलती है; फिर रेखा, सवकनहाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और देवालपुरा, बारगी सवकनहाली और बेनागावाड़ी के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, नैनीकैटे व्याघ्र रिजर्व की सीमा पर पहुंचने तक बारगी गांव की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है; फिर रेखा, नैनीकेटे व्याघ्र रिजर्व की उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और बारगी गांव की पूर्वी सीमा को छूती है, फिर रेखा, बारगी गांव की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और बारगी, मूकाहाली और मासाहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, मासाहाली, वीरामाडी और कन्नागाला के ट्राइजंकशन बंध पर उसके पहुंचने तक मासाहाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है; रेखा वीरामबाडी की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और कन्नागाला, बीरामबाडी और लक्कीपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, कन्नागाला गांव से होती हुई गुजरती है और कन्नागाला, कल्लीपुरा तथा ओनेगोडनहाली गांवों के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है; फिर रेखा, कल्लीपुरा की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ जाती है और हंगाला, देवराहाली और हंगालाहोसाली के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है ; फिर रेखा, देवराहाली की दक्षिणी और पूर्वी सीमा पर जाती है, देवराहाली, पुथनपुरा और हंगाला के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है; फिर रेखा, हंगाला की उत्तरीसीमा पर पूर्वी और दक्षिणी दिशा में जाती है तथा हंगाला पुथनपुरा और हंगालापुरा की ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, दक्षिणी दिशा में हंगाला और सिद्दनपुरा की पूर्वी सीमा तक जाती है और पासेनापुरा, कालेगोदानाहाली और सिद्दनपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, कालीगोदानाहाली की उत्तरी सीमा पर पूर्व दिशा की और जाती है और पासेनापुरा, कालीगोदानाहाली और सिद्दापुरा के ट्राइजंकशन बंध को छूती है ; फिर रेखा, सिद्दापुरा की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर जाती है और सिद्दापुरा के उत्तरी पूर्वी कोने तथा शिवपुरा की एस वाइ संख्या 69 के उत्तरी पश्चिमी कोने के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, एक सीधी रेखा में सिक्कपुरा होती हुई गुजरती है और हुल्लेपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, हुंडीपुरा की उत्तरी सीमा को जाती है और हुल्लेपुरा बेलावाडी और हुंडीपुरा के ट्राइजंकशन बंध को छूती है ; फिर रेखा दक्षिणी दिशा में हुंडीपुरा की पूर्वी सीमा को जाती

है और हुल्लेपुरा, बेलावाडी और हुंडीपुरा तथा केब्बेपुरा के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है ; फिर रेखा केब्बेपुरा की उत्तरी सीमा पर जाती है और केब्बेपुरा के उत्तरी पश्चिमी कोने को छूती है और फिर रेखा, बेलावाडी के एस वाइ संख्या 35 और 36 की उत्तरी सीमा पर गांव बेलावाडी से होकर गुजरती है तथा सेट्टाहाली की पश्चिमी सीमा को छूती है और फिर रेखा सेट्टाहाली की पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है और बोम्मालापुरा, सेट्टाहाली और वाचाहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, सेट्टाहाली की उत्तरी सीमा पर जारी रहती है और वाचाहाली की उत्तरी सीमा में पूर्वी दिशा में जाती है और मालापुरा, वाचाहाली तथा अंकाहाली के ट्राइजंकशन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, उत्तरी दिशा में जाती है और अंकाहाली, काडासोगे और येरीयुर के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा येरीयुर की सीमा के साथ पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दिशा में जाती है तथा येरीयुर, हेग्गावाडी और दारिबेगुर के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, हेग्गावाडी के एस वाई संख्या 256 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर उसके पहुंचने तक हेग्गावाडी की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण की ओर जाती है और फिर रेखा हेग्गावाडी गांव से होकर गुजरती है और हेग्गावाडी की एस वाई संख्या 362 के उत्तरी पूर्वी कोने को छूती है; फिर रेखा, उत्तरी पूर्वी दिशा में कुंडाकेरे की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और हेग्गावाडी, कुंडाकेरे और चिराकनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, चिराकनहाली की पश्चिमी सीमा की उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और वाडेगेरे, चिराकनहाली और हेग्गावाडी के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, वाडागेरे, चिराकनहाली और बोम्मनहाली के ट्राइजंकशन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, चिराकनहाली और कादाबुर की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और कादाबुर, रमैयानप्पुरा और केनगावाडी के ट्राइजंकशन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, रमैयानपुरा की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ जाती है; फिर रेखा यारागेनाहाली और शिंदानापुरा, युनागुंबा की उत्तरी सीमा पर तथा चमाराजानगर तालुक और जिला के वदरहाली होती हुई जाती है और तमिलनाडु राज्य की सीमा छूती है ।

पूर्व :- फिर रेखा, बदरहाली, येनागुंबा और चमाराजानगर तालुक के येराहाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और मोयार राज्य वन और बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व की भी उत्तरी पूर्वी सीमा को छूती है ।

दक्षिण और पश्चिम :- फिर रेखा,बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व की उत्तरी सीमा के साथ जाती है; फिर यह काबिनी पृष्ठ जल के एच एफ एल को छूती है; फिर काबिनी पृष्ठ जल एच एफ एल सीमाओं के साथ यह आरंभ बिंदु पर पहुंचती है ।

उपाबंध ख

बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन को दर्शाने वाला नक्शा

उपाबंध-ग

क. जोन-1 – कन्यापुरा हाथी कोरीडोर : जोन 1 निम्नलिखित चौदह गांवों से मिलकर बनता है जो सभी गुंडलूपेट तालुक में आते हैं ।

मानचित्र में पहचान संख्या	गांव का नाम	तालुक
99	मगुविनाहाली	गुंडलुपेट
101	सिद्धापुरा	गुंडलुपेट
102	शिवपुरा	गुंडलुपेट
103	हुंडीपुरा	गुंडलुपेट
104	केव्वेपुरा	गुंडलुपेट
105	मंगला	गुंडलुपेट
106	कन्यानपुरा	गुंडलुपेट
107	जक्काहाली	गुंडलुपेट
108	लोक्केरे	गुंडलुपेट
109	यालचेट्टी	गुंडलुपेट
110	बेलावाडिहुंडी	गुंडलुपेट
111	शेट्टीहाली	गुंडलुपेट
112	बाचाहाली	गुंडलुपेट
114	येरीयुरु	गुंडलुपेट
115	हग्गावाडी	गुंडलुपेट

इन गांवों में अभिप्राप्त भूमि के उपयोग का पैटर्न, मानव और मवेशियों के रहने की यूनिटें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, क्षेत्र की भूमि हैं जो मुख्यतया कृषि और उद्यान-कृषि फसलों के लिए हैं ।

अधिसूचित रिजर्व वन क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

1.	हेग्गावाडी रिजर्व वन 1	11.60 वर्ग कि.मी.
2.	हेग्गावाडी रिजर्व वन 2	8.95 वर्ग कि.मी.
3.	लोक्केरे रिजर्व वन	6.40 वर्ग कि.मी.

मगुविनाहाली, सिद्दापुरा, शिवापुरा, हुंडीपुरा, केब्बेपुरा, बेलावाडीहुंडी, शेटीहाली, लोक्केरे, मंगला, बांदीपुर, कन्यानपुरा, जक्काली, येलचेट्टी, बचाहाली, येरीयुरु, हेग्गावाड़ी,कुंडुकेरे और चिराकनहाली गांवों में, जो सभी गुंडलुपेट तालुक, चमाराजानगर जिले में आते हैं, में फैले, राजस्व विभाग के नियंत्रण के अधीन लगभग 900 एकड़ के वन क्षेत्र ।

ख. जोन 2- बांदीपुर पारिस्थितिक - संवेदनशील जोन का जोन 2, एक सौ आठ निम्नलिखित गांवों से मिलकर बनता है ।

मानचित्र पर पहचान संख्या	गांव	ताल्लुक
1.	गंडात्तूर	एचडी कोटे
2.	होसाहाली	एचडी कोटे
3.	बीरामबाली	एचडी कोटे
4.	एन. बेगूर	एचडी कोटे
5.	कनकनाहाली	एचडी कोटे
6.	जगनकोटे	एचडी कोटे
7.	कंचनहाली	एचडी कोटे
8.	हुरालीपुरा	एचडी कोटे
9.	कालासुरु	एचडी कोटे
10.	कारावाड़ी	एचडी कोटे
11.	किट्टू	एचडी कोटे
12	सागारे	एचडी कोटे

13	तेलागुमासहाली	एचडी कोटे
14	कटवाल	एचडी कोटे
15	नम्मनाहाली	एचडी कोटे
16	बैंकवाड़ी	एचडी कोटे
17	नादाहाड़ी	एचडी कोटे
18	चिक्काबसूग	एचडी कोटे
19	केब्बापुरा	एचडी कोटे
20	मोलेयुरकावेल	एचडी कोटे
21	मोलेयूर	एचडी कोटे
22	हीराहाली	एचडी कोटे
23	मटकेरे	एचडी कोटे
24	सीगावाड़ी	एचडी कोटे
25	वालहाली	एचडी कोटे
26	बेदाग	एचडी कोटे
27	आलागंची	एचडी कोटे
28	देवलापुरा	एचडी कोटे
29	हुल्लेमाला	एचडी कोटे
30	मासाहाली	एचडी कोटे
31	गेड्डालापुरा	एचडी कोटे
32	हालेयुर	एचडी कोटे
33	कोटेगाला	एचडी कोटे
34	कोनानालाथुरु	एचडी कोटे
35	हेग्गुडिलु	एचडी कोटे

36	हलसुर	एचडी कोटे
37	जाटागाथीपुरा	एचडी कोटे
38	मुल्लूर	एचडी कोटे
39	बासावानाकोटे	एचडी कोटे
40	हसकुर	एचडी कोटे
41	नंदीनाथापुर	एचडी कोटे
42	लक्कासेज	एचडी कोटे
43	हरियालपुरा	एचडी कोटे
44	सोबुगोवदानहाली	एचडी कोटे
45	लक्षमणपुरा	एचडी कोटे
46	बइरापुरा	एचडी कोटे
47	मुथिगेचिक्काटालांटू	एचडी कोटे
48	कंदालिके	एचडी कोटे
49	होसकोटे	एचडी कोटे
50	काडू बेगुर	एचडी कोटे
51	हनसुर	एचडी कोटे
52	कुडुगी	एचडी कोटे
53	मुदुकनमुले	एचडी कोटे
54	सिद्धापुरा	एचडी कोटे
55	करनागेल	एचडी कोटे
56	आलानहाली	एचडी कोटे
57	वेदारहाली	एचडी कोटे
58	चिक्काबेरागी	एचडी कोटे

59	चिन्नागुडी कॉलोनी	एचडी कोटे
60	अरालाहाली	एचडी कोटे
61	हेदनपुर	एचडी कोटे
62	चिक्कालाहाली	एचडी कोटे
64	हेदानुर वाडेनपुर	नंजनगुड
65	हेडियाला	नंजनगुड
63	बंकानाहाली	नंजनगुड
66	मदुविनाहाली	नंजनगुड
67	अमाकाहाली	नंजनगुड
68	नागानापुर	नंजनगुड
69	होसाविडु	नंजनगुड
70	दावारायाशेटटीपुर	नंजनगुड
71	कोट्टनहाली	नंजनगुड
72	भोगावालु वेदायानपुरा	नंजनगुड
73	कारालापुरा	नंजनगुड
74	कल्लाहाली	नंजनगुड
75	कैल्लुरपुर	नंजनगुड
76	मल्लाहाली	नंजनगुड
77	कलादेवानाहाली	नंजनगुड
78	होसापुरा	गुंडलुपेट
79	यादावेनाहाली	गुंडलुपेट
80	कोटेकेरे	गुंडलुपेट

81	मंचाहाली	गुंडलुपेट
82	सेवाकानाहाली	गुंडलुपेट
83	आलातुर	गुंडलुपेट
84	देशीपुर	गुंडलुपेट
85	बेरागी	गुंडलुपेट
86	होंगाहाली	गुंडलुपेट
87	मासाहाली	गुंडलुपेट
88	चन्नामालीपुर	गुंडलुपेट
89	मद्दुर	गुंडलुपेट
90	बच्चनहाली	गुंडलुपेट
91	बेरामबाड़ी	गुंडलुपेट
92	लक्कीपुर	गुंडलुपेट
93	कन्नागल	गुंडलुपेट
94	कुनाघाहाली	गुंडलुपेट
95	कालीपुरा	गुंडलुपेट
96	होंगालाहोसाहाली	गुंडलुपेट
97	हंगाला	गुंडलुपेट
98	सिद्देनापुरा	गुंडलुपेट
100	कालीगोदानाहाली	गुंडलुपेट
113	मालापुरा	गुंडलुपेट
116	कुंडाकेरे	गुंडलुपेट
117	चिरकानहाली	गुंडलुपेट
118	केदाबुर	गुंडलुपेट

119	रमैयानपुरा	गुंडलुपेट
120	येरागानाहाली	चामराजानगर
121	शिनदेहानापुरा	चामराजानगर
122	यानागुंबा	चामराजानगर
123	वेदाराहाली	चामराजानगर

इन गांवों में अभिप्राप्त भूमि के उपयोग का पैटर्न, मानव और मवेशियों के रहने की यूनिटें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, सूअरों के लिए यूनिटें, नूगू मिनि जल परियोजना, क्षेत्र की भूमि हैं जो मुख्यतया कृषि और उद्यान-कृषि फसलों के लिए हैं ।

अधिसूचित वन क्षेत्र-118.27 वर्ग कि.मी.

क्र.सं.	जिला	वन का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्र, वर्ग कि.मी. में	जीओ संख्या और तारीख
1.	चामराजानगर	भिमानाबिडु राज्य वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	3.69	आस-6200-एफटी-100-06-7 तारीख 25-3-1908
2.	चामराजानगर	सोमनाथपुरा रिजर्व वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	8.19	आस-6094-एफटी-123-08-3 तारीख 12-2-1909
3.	चामराजानगर	देशीपुरा राज्य वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	3.90	आईसी-6306-एफटी-32-21-10 तारीख 17-04-1923

4.	चामराजानगर	हेग्गेवाड़ी रिजर्व वन I	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	11.60	आर - 7124-एफटी-65-12-9 तारीख 25-5-1913
5.	चामराजानगर	हेग्गेवाड़ी रिजर्व वन II	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	8.95	आर-5597-एफटी-65-125 तारीख 5-4-1913
6.	चामराजानगर	लोक्केरे रिजर्व वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	6.40	जी-13934-एफटी-302-29-3 तारीख 29-5-1930
7.	मैसूर	नगानापुरा ब्लाक III रिजर्व वन	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	14.10	सं. आर -538-42-एफटी-68-07-4 तारीख 24-7-1908
8.	मैसूर	नागानापुरा ब्लाक III विस्तारित	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	8.06	प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र
9.	मैसूर	बोलेगावडानाकेट्टे व्याघ्र परिरक्षित राज्य वन	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	17.64	सं. एफईई-225/ एफडब्ल्यूएल2007 तारीख 12-10-2007
10.	मैसूर	नुगु वन्य जीव सेंचुरी	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	30.32	सं. एफ ई ई-58/ एफ डब्ल्यू एल 96 तारीख 9-3-1998
11.	चामराजानगर	कन्यानपुरा ब्लॉक II विस्तारित (धारा 4 अधिसूचित क्षेत्र)	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1.71	एफ ई ई 58 एफ ए एफ 2002 तारीख 14-11-2002

12.	चामराजानगर	कन्यानपुरा ब्लॉक II विस्तारित (धारा 4 अधिसूचित क्षेत्र)	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	0.36	एफ ई ई 100 एफ ए एफ 2001 तारीख 14-11-2002
13.	मैसूर	बेगूर रिजर्व वन विस्तारित (धारा 4 अधिसूचित क्षेत्र)	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1.17	एफ ई ई 97 एफ ए एफ 2001 तारीख 14-11-2002
14.	चामराजानगर	गोपालास्वामी बेट्टा	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	0.30	एनक्लोजर आफ कन्यानपुरा ब्लाक III (सं आर-6664-एफटी-90-12-7 तारीख 24-02-1914)
15.	मैसूर	कटवाल पुनर्वास क्षेत्र	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1.88	सं. 83-एफटी-313-26-5 तारीख 31-10-1928 (आलागांची आरएफ का भाग)
		योग		**118.27**	

[फा. सं. कर्नाटक/1/2011-ईएसजेड]

डॉ. जी. वी. सुब्रहमन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

ANNEXURE B

Map Showing the Eco-Sensitive Zone of Bandipur Tiger Reserve

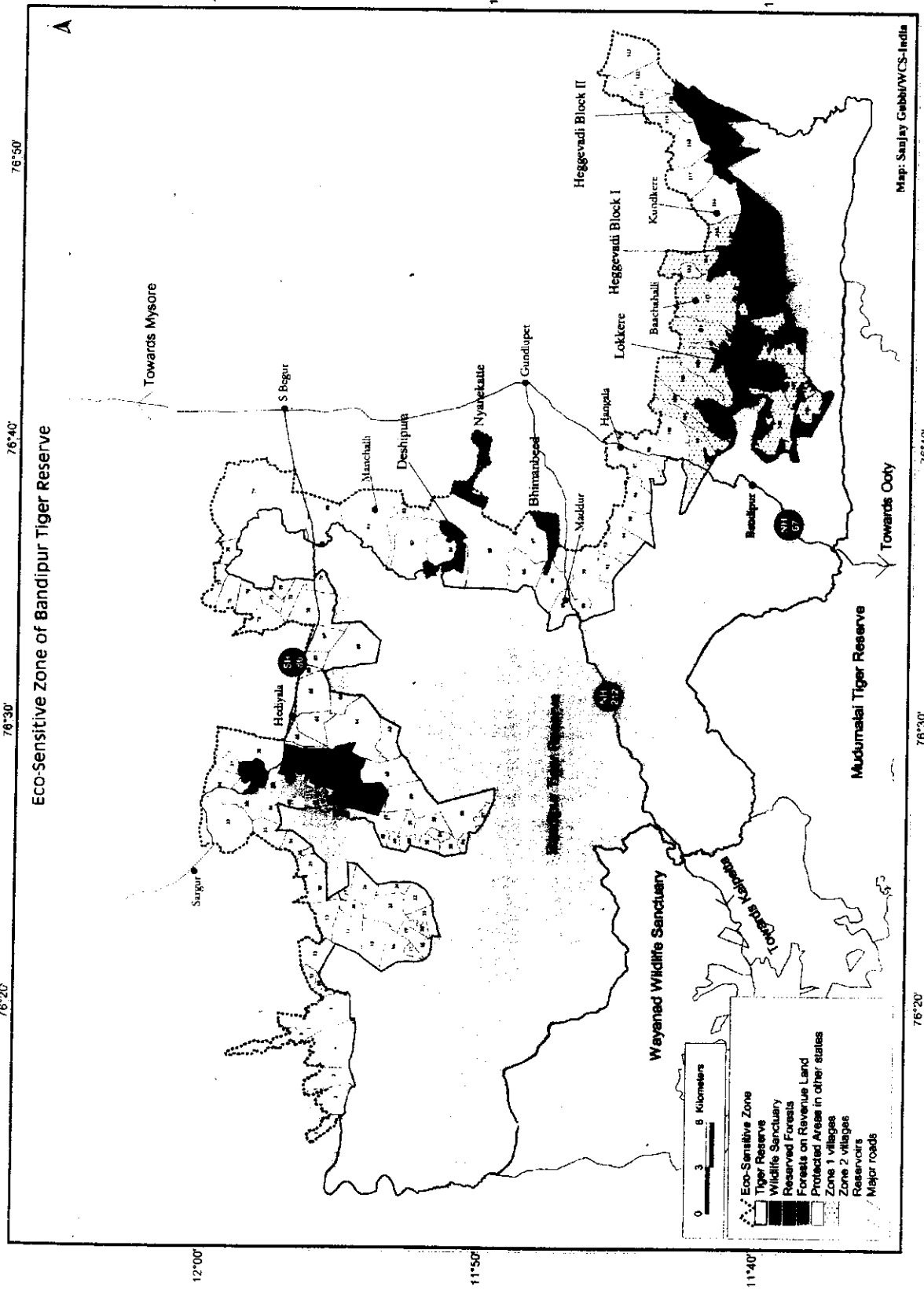

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st Septembert, 2011

S.O. 2154(E).—The following draft of the notification, which the Central Govermment proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or at e-mail address: envisect@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Bandipur National Park was formed by including most of the forest areas of the then Venugopala Wildlife Park and its *Sanctum Sanctorum* at Bandipur in the year 1974. In the year 2001, after going through the due process of law the State Government vide its Notification No. FEE 211 FWL 98 Dated 27-06-2001 notified an area of 870.36 Sq.Km. as the National Park under the provisions of the sub-section (4) of section 35 of the Wild life (Protection) Act, 1972. This is one of the Nine Protected Areas brought under Project Tiger during 1973. Presently, a total area of 912.04 Sq.Km. including adjoining forest areas which are part of the notified buffer zone vide No.FEE 136 FWL, 2008, dated 31-08-2010 is under Bandipur Tiger Reserve and declared as Core/Critical Tiger habitat as per section 38 V of the Wild life (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, the Bandipur Tiger Reserve is not only central and critical part of the 5500 Sq.Km. Nilgiri Biosphere Reserve but also forms an integral part of the Mysore Elephant Reserve under the Project Elephant. It supports a very high density of Wild Elephant Population with significantly higher number of Adult Tuskers. This area forms part of the designated elephant corridor namely Kaniyanpura Elephant Corridor which connects Sathyamangalam and Moyar Reserves, It is one of the high density Tiger landscapes recognized by the Global Tiger Initiative for conservation of Tiger and also is one of the richest Wild life areas noted for the intact assemblage of Seven large Ungulate species such as Chital, Sambar, Chowsingha, Gaur, Muntjac, Wild Pig and Elephant and has more than 250 species of birds;

AND WHEREAS, the area has a very high Faunal and Floral diversity. Bandipur Tiger Reserve alongwith Nagarahole, Mudumalai and Wyanad Protected Areas has the highest breeding population of Wild Tigers amongst the thirteen Tiger Range

countries in the World, The forests of the Tiger Reserve are varied and rich. To the eastern most portion lie the scrub forests of Moyar. While the vegetation in the central portion of the Tiger Reserve viz., Kaniyanpur, Bandipur part of Beerambadi is dry deciduous, the vegetation in the western part of the reserve viz., Ainurmarigudi, Begur and Beerambadi is moist deciduous. The vegetation, therefore, changes from scrub type to moist deciduous type from east to west. These forests are classified as Scrub type (Group 5 – Sub-Group 5B- DSF-I-Dry deciduous scrub of Champion and Seth classification):

The vegetation comprises of species of *Shorea talura, Santalum album(Sandal), Terminalia chebula, Anogeissus latifolia, Azadirachta indica, Chloroxylon swietenia, Acacia leucophloea, Acacia catechu, Stereospermum chelonoides, Zizyphus sps.,Diospyros melnoxylon, Diospyros montana,* etc.

Lantana bushes often cover large areas as under growth and *Phoenix acaulis* at some places. *Cassia tora, Cassia auriculata, Desmodium* etc., also form the undergrowth. Bamboos are generally absent. *Acacia intsia* is the common climber. Grass is generally abundant but is stunted. Sandal profusely comes up in this type.

This Protected Area is catchment of important perennial rivers such as Kabini, Moyar, and Nugu. The area is completely free from human habitation requiring no resettlement of any human population; The Kabini Reservoir is providing a good aquatic habitat for fish and many species of birds and Otters. Small tanks and rivers provide habitat for fish, crab, tortoise and crocodile etc.

Porcupines, Mongoose, Scaly anteaters, Bandicoots, rats and snakes (Pythons) are as much sub terrestrial dwellers as they are terrestrial ones. Some of the animals use the subterranean food, Porcupines burrows and eat roots of Cassia fistula. Wild boars feed on the tuberous roots of *Costus sps., Dioscorea* and *Vitis* climbers. Elephants are observed uprooting grass and feeding on the succulent root portions. The sloth bear feeds on roots and underground white ants. The same behavior is still seen. The Elephants feed on underwater weed found in the shallow backwater as well as by scraping the grass by kicking through the nails of their front feet in the vast foreshore area of Kabini reservoir during pinch period;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Bandipur National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view, to protect, propagate or develop Wild life therein or its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area, the situation and limits of which are specified in this notification as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone).

2. Boundaries of Eco-sensitive Zone

(a) The Bandipur National Park and Tiger Reserve is situated in Mysore (Nanjungud and H.D. Kote taluks) and Chamarajanagar (Gundlupet taluk) districts of Karnataka State lies between the North Latitudes 11^0 35' 34" and 11^0 55' 02" and between the East Longitudes 76^0 12' 17" and 76^0 51' 32". The boundaries of the

said Eco-sensitive Zone are given at ***Annexure-A*** and the map of the Eco-sensitive Zone is at ***Annexure-B***.

(b)The Eco-sensitive Zone covers the entire area of Zone-1 – Kanyanapura Elephant Corridor consisting of the fifteen villages, Zone 2 of the Bandipur Eco-Sensitive Zone consists of one hundred and eight villages and notified reserved forest areas given at ***Annexure-C***.

(c) All activities in the Forest Block Areas (both within and outside Municipal Areas) shall be governed by the provisions of the Forests (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and all the activities in the Protected Areas (Sanctuary) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

3. The following activities are to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-

(1) Management Plan for the Bandipur Tiger Reserve Eco-sensitive Zone. –

(i) The Management Plan shall be prepared with in consultation with all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Karnataka State Pollution Control Board with a view to include therein various aspects of the environment and ecology.

(ii) The Management Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Management Plan would also ensure that no restrictions are imposed on the existing legal land use pattern, as well as the legal infrastructure and activities and same would continue as before. However, the Management Plan would also factor in improvement of all infrastructure/activities to be more efficient and eco-friendly.

(iv) The Management Plan shall demarcate all the existing revenue, revenue expansion areas, forests, green areas, horticultural areas, agricultural areas, orchards, natural springs, natural heritage sites, and other environmentally and ecologically sensitive areas. No change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture, parks & other like places to non-green uses shall be permitted in the Management Plan.

(v) There shall ordinarily be no reduction in Forest Zone,. Green Zones and Agricultural Area.

(vi) Any subsequent change of land use would be allowed only with the approval of the Monitoring Committee referred to in paragraph 4.

(vii) The Monitoring Committee oversee the proper execution of the Management Plan by all Departments and stakeholders as well. This Committee would also look into the grievances of people and find amicable solution of such grievances.

(viii) The Management Plan shall invariably prescribe the relevance and adequate steps for all such activities that are required to be regulated and /or restricted, based on site specific requirements as given in the Annexure-2 of the guidelines of the Ministry of Environment and Forests on eco-sensitive zones dated 9th February 2011.

(ix) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Management Plan.

(2) Regulated, restrictive and permitted activities in the Eco-sensitive Zone.-

Under Zone 1 and Zone 2 the following activities are prohibited, regulated and/or permitted as per the tabular column given below.

S. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
1.	Commercial Mining	Yes	-	-	
2.	Commercial Quarrying	Yes	-	-	
3.	Stone Quarrying and Crushers	Yes	-	-	
4.	Establishment of Industries	Yes	-	-	
5.	Establishment of Commercial Hotels and Resorts	Yes	Yes	-	Prohibited in Zone 1 except the already existing establishments as on the date of this draft notification. However, expansion of the existing commercial tourism establishments is to be regulated strictly in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi. Also commercial ventures in Chikkathalalu, Muthigehundi, Nandinathapura

					and Lakkasoge villages in Zone 2 is prohibited.
6.	Establishment of Saw Mills	Yes	-	-	
7.	Felling of Trees in private lands	-	Yes	-	Felling is to be regulated in accordance with Karnataka Forest Act and Karnataka Preservation of Trees Act.
8.	Change in Land use pattern from Agriculture and Horticulture	Yes	-	Yes	Prohibited in Zone 1.
9.	Establishment of Large Scale Green Houses and other Commercial agricultural/horticultural Ventures	Yes	Yes	Yes	Prohibited in Zone 1. To be Regulated/ Permitted in Zone 2.
10.	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting	-	Yes	-	
11.	Establishment of Major Hydroelectric Projects	Yes	-	-	
12.	Erection of Electrical cables for housing, agricultural and other self subsistence purposes.	-	-	Yes	
13.	Ongoing Agricultural and Horticulture practices by local communities	-	-	Yes	
14.	Rain water harvesting	-	-	Yes	

15.	Electric fencing, Compound of premises Commercial Hotels/ Resorts and commercial Agricultural and Horticultural ventures.	-	Yes	Yes	To be Regulated in Zone 1 only.
16.	Organic Farming	-	-	Yes	Encouraged
17.	Widening of State Highways/Maj or District Roads	Yes	Yes	-	Prohibited in Zone 1 and to be regulated in Zone 2 strictly in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi
18.	Maintenance of village roads.	-	Yes		
19.	Movement of Vehicular traffic during night	-	Yes	Yes	To be regulated in Zone 1 and permitted in Zone 2.
20.	Introduction of Exotic floral and faunal species	-	Yes	-	
21.	Establishment of Livestock & Poultry farms	Yes	Yes	-	Prohibited in Zone 1.
22.	Organic farming	-	-	Yes	Encouraged
23.	Use of Polythene bags by tourists, commercial hotels and	Yes	Yes	-	Prohibited in Zone 1.

	resorts.				
24.	Use of renewable Energy Sources.	-	-	Yes	Encouraged.
25.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing	Yes	-	-	Prohibited in Zone 1 only.
26.	Protection of hill slopes and river banks	-	-	Yes	Encouraged
27.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area.	Yes	Yes	-	Prohibited in Zone 1 and Regulated in Zone 2.
28.	Sign boards and hoardings	-	Yes	-	Regulated in Zone 1.
29.	Adoption of green technologies for all activities	-	-	Yes	Encouraged
30.	Erection of High Tension Power Transmission Lines.	Yes	-	-	Prohibited in Zone 1
31.	Railways, Underground pipelines and Rope ways	Yes	-	-	

*This list is not exhaustive any other activities that are inimical to wildlife conservation will be regulated in accordance with the "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi.

(3) Industrial Units:

1. No establishment of new industrial unit shall be permitted in Zone 1.
2. Establishment of new industrial unit in Zone 2 shall be regulated by the monitoring committee in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life Habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated

15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi.

(4) In the non municipal areas, the following shall also be permitted:
Structures connected with small agro-based industries, activities related to the needs of the local village economy and processing or storage of local agro-based products may be allowed subject to the permission to be obtained from the revenue authorities for alienation of land for non agricultural purposes.

(5)Quarrying and Mining:-
Quarrying and Mining activities shall be banned in the Eco-Sensitive zone and no fresh mining lease shall be granted.

(6) Trees: There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.

(7) Tourism: Tourism activities shall be allowed in accordance with the Tourism Master Plan, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism, Government of India and approved by the Ministry of Environment and Forests which shall also form a part of the Zonal Master Plan.

(8) Use of plastics:
The use of plastics, laminates and tetra-packs within the Eco-sensitive zone shall be regulated as per the activities mentioned in this notification.

(9) Forest Areas under the control of Revenue Department:
Any non-forestry activities will be regulated in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life Habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi.

(10) Discharge of effluents:
a) The discharge of any untreated effluent is prohibited within the Eco-Sensitive Zone.
b) No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into any water body or water source within the Eco-sensitive zone.

(11) Solid Wastes:
a) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
b) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations.
c) No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.
Explanation – in this notification, "Solid wastes" shall include domestic, industrial, commercial & garden wastes.

(12) Natural springs:

a) The catchment area of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

b) Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

4. Monitoring Committee. –

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Bandipur Tiger Reserve Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification. The Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local problems.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of the following members, namely:-

(a) a representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;

(b) a representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member;

(c) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Karnataka State Forest Department – Member;

(d) the Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;

(e) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka _ Member.

(f) the Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar – Member

(g) the Deputy Conservator of Forests, Project Tiger Division, Bandipur – Member Secreatary.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.

(4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, the Monitoring Committee shall refer such matters to the Ministry of Environment and Forests which shall grant the clearances in accordance with the provisions of the said notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or the Member Secretary of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

ANNEXURE-A

BOUNDARY DESCRIPTION

Boundary Description for the above forest areas is as described in the Govt. Notifications of respective forests.

North:- The line starts from North West corner of Karavadi Village of Bidarahalli Panchayath, H.D. Kote Taluk, Mysore District and runs along the Northern boundary till it reaches tri junction point of Singapatna, Kithur and Karawadi; then the line passes through Kithur and touches the tri junction point of Kithur, Uyyamball, Nadinathapura and Sagare; then the line runs along the southern boundary of Nandinathapura and touches south cost corner of Nandinathapura; then the line passes through Sagare village and meets the tri junction point on the western most side of Hegganur; then the line passes all along the western boundary towards south and touches the tri junction point of Hegganur, Sagare and Telagumasahally; then the line passes all along the northern boundary of Telagumasahally and meets the tri junction point of Telagumasahally, Hegganur and Devalapura; then the line passes in Northern direction along the western boundary of Devalapura and touches tri junction bondh of Hegganur, Mallarajapura and Devalapura; then the line passes all along the Northern boundary of Devalapura and touches tri junction bondh of Hullemala, Mallarajapura and Devalapura; then the line passes all along western boundary of Hullemala in North west direction and touches tri junction bondh of Masahally, Mallarajapura and Hullemala; then the line passes on Northern boundary of Hullemala and touches the north east corner of Hullemala; then the line runs through Masahally village and touches a tri junction point of Sy. No. 20,19 and 11 of Beddalapura on the Western boundary of Beddalapura; then the line goes straight through Beddalapura and touches the tri junction bondh of Haleyur, Masahally and Beddalapua; then the line passes through Haleyur and touches a point on the tri junction bondh of Narasipura village, Haleyur village and Kothegala village; then the line passes all along the Western & Northern boundaries of Kothegala and touches the tri junction bondh on North east most corner of Kothegala and Puradakatte, Chikkadevammanabetta, Chamalapura and Halasur; then the line runs in south east direction all along the northern boundary of Halasur and touches the north east most corner of Halasur and then the line runs along the eastern boundary of Halasur in southern direction and touches the tri junction bondh of Chamalapura, Halasur and Jatagathipura and Mullur; then the line runs along northern boundary of Mullur and touches the tri junction bondh of Chamalapura, Mullur and Bennegere; then the line runs all along the Eastern boundary of Mullur and western boundary of Bennegere and Channagowdanahally and touches the tri junction bondh of Channagowdanahally, Mullur of H.D. Kote Taluk and Hediyala of Nanjangud Taluk of Mysore district. Then the line runs along the common boundary of Hediyala and Mullur and touches Hunsur-Begur Highway road; then the line runs all along the right side of the above side road passing through Hediyala, Maduvinahally, Amakahally and Hosaveedu villages and touches the Western boundary of Devarayasettipura; then the line runs all along the western boundary of Devarayasettipura and Kallahally and touches the tri junction point of Telana, Hadya and Channapatna; then the line runs all along the southern boundary of Channapatna and touches the tri junction point of Kallahally, Channapatna and Kellpura; then the line runs along the western and northern boundary of Kellepura of Gundlupet Taluk, Chamarajanagara District and touches the tri junction point of Channapatna, Mallahally and Kellupura; then the line runs along the western boundary of Mallahally and Kaladevanahally in Northern direction and touches the tri junction bondh of Hura, Kanthirayanapuradakaval and Kaladevanahally; then the

line runs along the Northern boundary of Kaladevanahally and touches the tri junction bundh of Hosapura, Dyavegowdanapura, Kantharayanapuradakaval and Kaladevanahally; then the line runs all along the Northern boundary Hosapura and touches the tri junction bundh of Hosapura, Dyavegowdanapura and Yadavanahally; then the line runs in the same direction along the southern boundary of Dyavegowdanapura in southern direction and touches the tri junction bondh of Dyavegowdanapura Makanapura Nanjangud Taluk and Yadavanahally of Gundlupet taluk; then the line runs all along the Northern boundary of Yadavanahally and touches the tri junction bondh of Yadavanahally of Gundlupet Taluk and Krishnanapura of Nanjangud Taluk and Horiyala of Gundlupet Taluk; then the line runs in southern direction along the eastern boundary of Yadavanahally and touches the tri junction bondh of Horeyala, Yadavanahally and Kotekere village of Gundlupet Taluk; then the line runs in western direction along the southern boundary of Yadavanahally till it reaches the North west corner of Sy No. 20 of Kotekere; then the line runs in south ward direction along the western boundary of Kotekere and touches the South west corner of Sy No. 314 of Kotekere and State Highway road; then the line passes through Kotekere village in South-west direction and reaches the tri junction bondh of Kotekere, Bettadamadahally and Manchally; then the line runs along the Eastern boundary of Manchahally till it reaches the tri junction bondh of Manchally, Banagawadi, Savakanahally and Hasaguli; then the line runs in west ward direction along the southern boundary of Manchally and meets the tri junction point of Savakarahally, Banagavadi and Manchally; then the line runs along the eastern boundary of Savakanahally and touches the tri junction bondh of Devalapura, Bargi, Savakanahalli and Banagavadi; then the line runs in south ward direction along the eastern boundary of Bargi village till it reaches the boundary of Nenekatte Tiger Reserve; then the line runs along the North, East and South boundary of Nenekatte Tiger Reserve and touches the eastern boundary of Bargi village, then the line runs along the eastern boundary of Bargi village and touches the tri junction bondh of Bargi, Mookahally and Masahally; then the line runs along the eastern boundary of Masahally till it reach tri junction bondh of Masahally, Beerambadi and Kannagala; the line runs along the eastern boundary of Beerambady and touches the tri junction bondh of Kannegala Beerambady and Lakkipura; then the line passes through the Kannagala village and joins the tri junction bondh of Kannagala, Kallipura and Honnegowdanahally villages; then the line runs along the Northern & Eastern boundary of Kallipura and joins the tri junction bondh of Hangala, Devarahally and Hangalahosally; then the line runs on southern and eastern boundary of Deverahally to meet the tri junction bondh Devarahally, Puthanapura and Hangala; then the line runs in the eastern and southern direction on the northern boundary of Hangala and touches the tri junction bondh of Hangala, Puthanapura and Hangalapura; then the line runs on the eastern boundary of Hangala and Siddanapura in south ward direction and touches the tri junction bondh of Pasainapura, Kalegowdanahally and Siddanapura; then the line runs in the eastward direction on the Northern boundary of Kaligowdanahally and touches the tri junction bondh of Pasainapura, Kaligowdanahally and Siddapura; then the line runs on Western & Northern boundary of Siddapura and touches the tri-junction bondh of North east corner of Siddapura and North west corner of Sy. No. 69 of Shivapura; then the line passes through Shivapura in straight line and touches the trijunction bondh of Hullepura, Hundipura and Shivapura; then the line runs on the Northern boundary of Hundipura and touches the tri junctions bondh of Hullepura, Belavady and Hundipura: then the line runs on the eastern boundary of Hundipura in Southern direction and meet the tri junction bondh of Hullepura, Belavady and Hundipura and Kebbepura; then the line runs on the Northern boundary of Kebbepura and touches the north east corner Kebbepura and then the line passes through Belavady Village on the northern boundary of Sy. No. 35 & 36 of Belavady and touches the Western

Boundary of Settahally; and then the line passes on the Western and Northern boundary Settahally and touches the tri junction bondh of Bommalapura Settahally and Bachahalli; then the line continues on the northern boundary of Settahally and Northern Boundary of Bachahally runs in Eastern direction and reaches the tri junction bondh of Malapura, Bachahally and Ankahally; then the line runs northward and touches the tri junction bondh of Ankahally, Kadasoge and Yariur; then the line runs in the east and south east direction all along the boundary of Yeriyur and touches the tri junction bondh of Yeriyur, Heggavadi and the Daribegur; then the line runs south ward on the western boundary of Heggavadi till it reaches the North West corner of Sy No. 256 of Heggavadi and then the line passes through Heggavadi village and touches the North east corner of Sy. No. 362 of Heggavadi; then the line runs along the Northern boundary of Kundakere in North East direction and touches the tri junction bondh of Heggavady, Kundakere and Chirakanahally; then the line traverse in north west direction of the western boundary of Chirakanahally and reaches the tri junction bondh of Vaddagere, Chirakanahally and Heggavadi; then the line runs in north east direction and reaches the tri junction bondh of Vaddagere, Chirakanahally and Bommanahally; then the line traverses along the northern boundary of Chirakanahally and Kadabur and reaches the tri junction bondh of Kadabur Ramaianappura and Kengavadi; then the line traverses along the western & northern boundary of Ramaianapura; then the line traverses through Yaraganahally and on the northern boundary of Shindanapura , Yonagumba and Vaddarahally of Chamarajanagara Taluk and District and touches Tamil Nadu State boundary.

East:- Then the line traverses along the eastern boundary of Vaddarahally, Yonagumba and Yerahally of Chamarajanagara Taluk and touches the north east boundary of Moyar State Forest and also the Bandipur Tiger Reserve.

South and West:- Then the line traverses all along the Northern boundary of the Bandipur Tiger Reserve; then it touches the HFL of Kabini Back water; then all along the Kabini back water HFL Limits it reaches the starting point.

ANNEXURE-B

Map Showing the Eco-Sensitive Zone of Bandipur Tiger Reserve

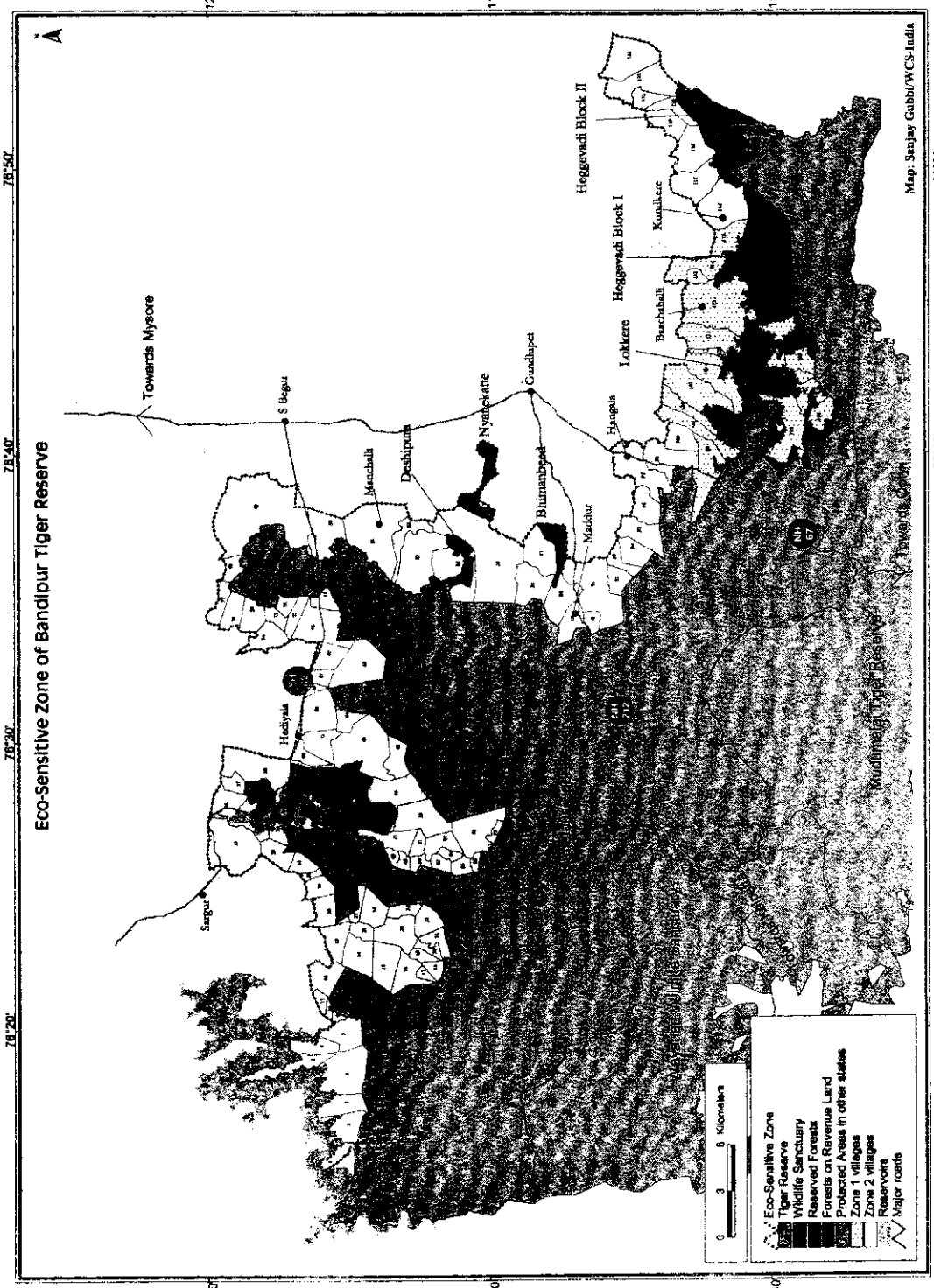

ANNEXURE-C

A. Zone-1 – KANIYANAPURA ELEPHANT CORRIDOR: Zone 1 consists of the following fifteen villages all falling under Gundlupet Taluk.

ID no. in Map	Name of the Village	Taluka
99	Maguvinahalli	Gundlupet
101	Siddapura	Gundlupet
102	Shivapura	Gundlupet
103	Hundipura	Gundlupet
104	Kebbepura	Gundlupet
105	Mangala	Gundlupet
106	Kaniyanpur	Gundlupet
107	Jakkahalli	Gundlupet
108	Lokkere	Gundlupet
109	Yalchetti	Gundlupet
110	Belavadihundi	Gundlupet
111	Shettihalli	Gundlupet
112	Bachahalli	Gundlupet
114	Yariyuru	Gundlupet
115	Heggavadi	Gundlupet

The land use pattern obtaining in these villages are mainly Human and Cattle dwelling units, Schools, Health Centre, Areable lands mainly under Agricultural and Horticultural crops.

The notified Reserved forest areas are

1.	Heggavadi Reserved Forest I	11.60 Sq.Km.
2.	Heggavadi Reserved Forest II	8.95 Sq.Km.
3.	Lokkere Reserve Forest	6.40 Sq.Km.

The forest areas of about 9000 acres under the control of Revenue department spread over the villages Maguvinahally, Siddapura, Shivapura, Hundipura, Kebbepura, Belavadihundi, Shettihalli, Lokkere, Mangala, Bandipur, Kaniyanapura, Jakkalli, Yelchetti, Bachahally, Yeriyuru, Heggavadi, Kundukere and Chirakanahally all falling under Gundlupet Taluk, Chamarajanagar district.

B. Zone 2 – Zone 2 of the Bandipur Eco-Sensitive Zone consists of the following villages one hundred and eight villages.

ID no. on the map	Village	Taluka
1	Gandattur	HD Kote
2	Hosahalli	HD Kote
3	Biramballi	HD Kote
4	N. Begur	HD Kote
5	Kanakanahalli	HD Kote
6	Jaganakote	HD Kote
7	Kenchanahalli	HD Kote
8	Huralipura	HD Kote

9	Kalasuru	HD Kote
10	Karawadi	HD Kote
11	Kittur	HD Kote
12	Sagare	HD Kote
13	Telagumasahalli	HD Kote
14	Katval	HD Kote
15	Nemmanahalli	HD Kote
16	Bankvadi	HD Kote
17	Nadahadi	HD Kote
18	Chikkabesuge	HD Kote
19	Kebbapura	HD Kote
20	Moleyurkaval	HD Kote
21	Moleyur	HD Kote
22	Hirehalli	HD Kote
23	Matkere	HD Kote
24	Seegavadi	HD Kote
25	Valhalli	HD Kote
26	Badag	HD Kote
27	Alaganchi	HD Kote
28	Devalapura	HD Kote
29	Hullemala	HD Kote
30	Masahalli	HD Kote
31	Geddalapura	HD Kote
32	Haleyur	HD Kote
33	Kotegala	HD Kote
34	Konanalathuru	HD Kote
35	Heggudilu	HD Kote
36	Halsur	HD Kote
37	Jatagathipura	HD Kote
38	Mullur	HD Kote
39	Basavanakote	HD Kote
40	Huskur	HD Kote
41	Nandinathapur	HD Kote
42	Lakkasage	HD Kote
43	Hariyalapura	HD Kote
44	Saubugowdanahalli	HD Kote
45	Lakshmanapura	HD Kote
46	Byrapura	HD Kote
47	Muthigechikkatalatu	HD Kote
48	Kandalike	HD Kote
49	Hoskote	HD Kote
50	Kaadu Begur	HD Kote
51	Hunsur	HD Kote
52	Kudugi	HD Kote
53	Mudukanmule	HD Kote
54	Siddapura	HD Kote
55	Kurnagal	HD Kote
56	Alanahalli	HD Kote

57	Vaderhalli	HD Kote
58	ChikkaBaragi	HD Kote
59	Chinnagundi Colony	HD Kote
60	Aralahalli	HD Kote
61	Hadanur	HD Kote
62	Chikkalahalli	HD Kote
64	Hadanur Vadenpur	Nanjangud
65	Hediyala	Nanjangud
63	Bankanahalli	Nanjangud
66	Maduvinahalli	Nanjangud
67	Amakahalli	Nanjangud
68	Naganapur	Nanjangud
69	Hosavidu	Nanjangud
70	Devarayashettipur	Nanjangud
71	Kottanahalli	Nanjangud
72	Bhogavalu Vadeyanapura	Nanjangud
73	Karalapura	Nanjangud
74	Kallahalli	Nanjangud
75	Kellurpur	Nanjangud
76	Mallahalli	Nanjangud
77	Kaladevanahalli	Nanjangud
78	Hosapura	Gundlupet
79	Yadavanahalli	Gundlupet
80	Kotekere	Gundlupet
81	Manchahalli	Gundlupet
82	Savakanahalli	Gundlupet
83	Alatur	Gundlupet
84	Deshipur	Gundlupet
85	Baragi	Gundlupet
86	Hongahalli	Gundlupet
87	Masahalli	Gundlupet
88	Channamallipur	Gundlupet
89	Maddur	Gundlupet
90	Bachanahalli	Gundlupet
91	Berambadi	Gundlupet
92	Lakkipur	Gundlupet
93	Kannagal	Gundlupet
94	Kunaghalli	Gundlupet
95	Kallipura	Gundlupet
96	Hangalahosahalli	Gundlupet
97	Hangala	Gundlupet
98	Siddainapura	Gundlupet
100	Kaligaudanahalli	Gundlupet
113	Malapura	Gundlupet
116	Kundakere	Gundlupet
117	Chirakanahalli	Gundlupet
118	Kadabur	Gundlupet

119	Ramaiyanpura	Gundlupet
120	Yeraganahalli	Chamrajnagar
121	Shindaiahnapura	Chamrajnagar
122	Yanagumba	Chamrajnagar
123	Vaddarahalli	Chamrajnagar

The land use pattern obtaining in these villages are mainly Human and Cattle dwelling units, Schools, Health Centre, Roads, Piggery unit, Nugu Mini Hydel Project, Areable lands mainly under Agricultural and Horticultural crops.

NOTIFIED FOREST AREAS – 118.27 Sq. Kms.

Sl. No	District	Name of the Forest	Administrative control	Area in Sq. Kms.	GO No. and Date
1.	Chamarajanagar	Bhimanabidu State Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	3.69	R-6200-FT-100-06-7 dated 25-3-1908
2.	Chamarajanagar	Somnathpura Reserve Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	8.19	R-6094-FT-123-08-3 dated 12-2-1909
3.	Chamarajanagar	Deshipura State Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	3.90	IC-6306-FT-32-21-10 dated 17-4-1923
4.	Chamarajanagar	Heggavadi Reserved Forest I	Gundlupet Territorial Sub Division	11.60	R-7124-FT-65-12-9 dated 25-5-1913
5.	Chamarajanagar	Heggavadi Reserved Forest II	Gundlupet Territorial Sub Division	8.95	R-5597-FT-65-125- dated 5-4-1913
6.	Chamarajanagar	Lokkere Reserve Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	6.40	G-13934-FT-302-29-3-dated 29-5-1930
7.	Mysore	Naganapura Block III Reserve Forest	Bandipur National Park	14.10	No. R-538-42-FT-68-07-4 dt.24-7-1908
8.	Mysore	Naganapura Block III Extension	Bandipur National Park	8.06	Proposed National Park Area.
9.	Mysore	Bolegowdanakatte Tiger Preserve State Forest	Bandipur National Park	17.64	No.FEE225|FWL2007 dated 12-10-2007
10.	Mysore	Nugu Wildlife Sanctuary	Bandipur National Park	30.32	No. FEE58| FWL96 dated 9-3-1998
11.	Chamarajanagar	Kaniyanapura Block II Extension (Section 4 Notified Area)	Bandipur National Park	1.71	FEE 58 FAF 2002 dated 14-11-2002
12.	Chamarajanagar	Kaniyanapura Block II Extension (Section 4 Notified Area)	Bandipur National Park	0.36	FEE 100 FAF 2001 dated 14-11-2002

Sl. No	District	Name of the Forest	Administrative control	Area in Sq. Kms.	GO No. and Date
13.	Mysore	Begur Reserve Forest Extension (Section 4 Notified Area)	Bandipur National Park	1.17	FEE 97 FAF 2001 dated 14-11-2002
14.	Chamarajanagar	Gopalaswamy Betta	Bandipur National Park	0.30	Enclosure of Kaniyanapura Block III (No. R-6664-FT-90-12-7 Dated 24-02-1914)
15.	Mysore	Katwal Rehabilitation Area	Bandipur National Park	1.88	No. 5083-FT-313-26-5 Dated 31-10-1928 (Part of Alaganchi RF)
		Total		**118.27**	

[F. No. Karnataka/1/2011-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, SCIENTIST 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

F.No. Karnataka/1/2011-ESZ
Government of India
Ministry of Environment & Forests
RE Division

Paryavarn Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi -110003.

Dated: October 14, 2011

Office Memorandum

Subject: Draft notification S.O. 2154(E) dated 21st September, 2011 regarding declaration of Bandipur National Park as Eco-Sensitive Zone.

As the said draft notification was published in the Gazette of India on 21st September, 2011, objection/suggestions on the proposals contained therein, can be sent to the Ministry on esz-mef@nic.in for consideration within a period of sixty days from the date of its publication.

G. V. Subrahmanyam

(Dr. G.V. Subrahmanyam)
Advisor
(RE & NMNH)